an>

Title: Need to look into the incident of cacellation of consignment of grapes by European Countries.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) ः नियम 377 के माध्यम से मैं सदन का ध्यान एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमंट अथॉरिटी (एपीडा) द्वारा किसान विरोधी कार्य की तरफ दिलाना चाहता हूँ। घटना 2010 की है। ग्रेवोर एक्सपोर्ट योजना के तहत किसान अपने उत्पादन का निर्यात भी कर सकता था। अंगूर का निर्यात करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों ने मिलकर आवश्यक धनराशि एकत्र करके अंगूर की खेती की। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज पर खर्चा किया, मजदूरों पर खर्चा किया, ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया गया, यह सब खर्चे बैंकों से उधार लेकर अंगूर की खेती से लेकर निर्यात करने का प्रयास किया। अंगूर की खेती खराब न हो, इसके लिए किसानों ने सरकार द्वारा निर्धारित दवाओं एवं मात्रा के हिसाब से छिड़काव भी किया। एक दवा सी.सी.सी. यानी क्लोरिनिक्यूट क्यलोराईड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स द्वारा सुझाई गई। सी.सी.सी. की मात्रा का उपयोग करने की सलाह पर एपीडा ने नियम बनाए। किसानों ने इन नियमों का पालन पूरी तरह से किया, परंतु एपीडा द्वारा बिना अंगूरों की जाँच किए निर्यात हेतु अनुमति दे दी गई। किसानों के उत्पादित अंगूरों के निर्यात को यूरोप के देशों में भेजने के लिए 2600 कंटेनर भेजे गए, जो कई दिनों तक बंदरगाह पर खड़े रहे हैं। जिनका अत्याधिक किराया भी किसानों को चुकाना पड़ा। अंगूरों में सी.सी.सी. की अत्याधिक मात्रा के कारण इन 2600 कंटेनर को रद्द कर दिया गया। जिससे किसानों को 2010 में कई सौ करोड़ रूपए का नुकसान हुआ और किसानों ने जो ऋण अंगूर की खेती के लिए लिया था, वह उसका भुगतान नहीं कर सके। जिसके कारण किसानों को बैंकों के नोटिस मिल रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि 2010 में अंगूरों को निर्यात करने के लिए जो 2600 कंटेनर रद्द हुए उसमें एपीडा की भूमिका की जाँच कर अधिकारियों के उत्तरदायित्व की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। 2010 में यूरोप को अंगूर उत्पादक निर्यातक किसान (ग्रोअर एक्सपोर्टर) को नुकसान भरपाई (मुआवजा) मिले।